

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक -

अप्रार्थीगण

1 रूपाराम पुत्र भोमाराम जाति प्रजापत निवासी लाणी काठा मगने की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 जीयोदेवी पत्नि खेताराम 2 रेखाराम 3 हिराराम पिसरान आईदानराम 4 रिणछाराम 5 रामाराम पिसरान टीकमाराम 6 बावूराम पुत्र उतमाराम 7 देवाराम पुत्र गेमराराम निवासी लाणी काठा मगने की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-56/2025

दिनांक- 23/12/2025

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लाणी काठा पटवार हल्का कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 712/702 रकबा 0.9065 हैक्टेयर व खसरा संख्या 710/683 रकबा 2.3310 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्ता पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रूपाराम पुत्र भोमाराम जाति प्रजापत निवासी लाणी काठा मगने की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जीयोदेवी पत्नि खेताराम निवासी लाणी काठा मगने की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर